

झारखंड कैमरून में फॉसे श्रमिकों की सहायता करेगा

चर्चा में क्यों?

झारखंड के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फॉसे झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिकों के समूह को उनके वेतन का आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया है।

मुख्य बंदि

- **लंबति वेतन और कानूनी गैर-अनुपालन:**
 - कैमरून में मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड द्वारा नयिोजति श्रमिकों ने तीन महीने से वेतन का भुगतान न कयि जाने का आरोप लगाया।
 - झारखंड के मुख्यमंत्री ने श्रम आयुक्त को नयिोक्ताओं और बचौलियों के वरिद्ध **परथम सूचना रपिरट (FIR)** दर्ज करने का नरिदेश दया।
 - FIR में **अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधनियिम, 1979 के उल्लंघन** का उल्लेख कया गया है, जसिमें पंजीकरण या अपेक्षति लाइसेंस के बनिा श्रमिकों को वदिश भेजना भी शामिल है।
 - झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गरिडीह ज़िलों में FIR दर्ज की गई।
- **वेतन भुगतान अद्यतन:**
 - ट्रांसरेल लाइटिंग ने कहा क श्रमिकों को प्रता माह 100 अमेरिकी डॉलर का भुगतान कया गया था तथा शेष राश उनके भारतीय खतों में स्थानांतरति करने का वादा कया गया था।
 - श्रम वभाग ने कंपनी से अनुबंध, वेतन रकिॉर्ड और अन्य प्रासंगकि दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध कया है।
 - आवश्यक कार्रवाई के लयि **प्रवासी संरक्षक (POE)** और अन्य प्राधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
- **कूटनीतिक प्रयास:**
 - भारतीय उच्चायोग और **वदिश मंत्रालय** कंपनी और फॉसे हुए श्रमिकों के बीच बातचीत को सकरयि रूप से सुवधाजनक बना रहे हैं।
 - नयितरण कक्ष की टीमें श्रमिकों और अधकारियों की सुरक्षा सुनिश्चति करने के लयि उनके साथ संपर्क बनाए हुए हैं।
 - अधकारियों ने चेतावनी दी क पूरण वेतन का भुगतान न करने पर **ठेकेदारों के साथ समझौते रद्द कयि जा सकते हैं।**
- **हस्तक्षेप के पछिले मामले:**
 - जुलाई 2024 में, मुख्यमंत्री ने कैमरून से 27 फॉसे श्रमिकों को वापस लाने के लयि हस्तक्षेप कया।
 - मलेशया में फॉसे 50 श्रमिकों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं, जो वशिखापत्तनम पहुँच चुके हैं और उनके शीघ्र ही घर लौटने की आशा है।

अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधनियिम, 1979

- इस अधनियिम का उद्देश्य अंतर-राज्यीय प्रवासियों के रोज़गार और उनकी सेवा की शर्तों को वनियिमति करना है।
- यह प्रत्येक ऐसे प्रतषिठान पर लागू होता है जो **अन्य राज्यों से आए पाँच या अधिक प्रवासी कर्मकारों को नयिोजति करता है** अथवा यद उसने **पछिले 12 महीनों में कसि भी दनि पाँच या अधिक ऐसे कर्मकारों को नयिोजति कया हो।**
- यह उन ठेकेदारों पर भी लागू होता है जनिहोंने समान संख्या में अंतर-राज्यीय श्रमिकों को रोज़गार दया हो।
- इसमें ऐसे प्रतषिठानों के पंजीकरण की व्यवस्था की परकिल्पना की गई है। मुख्य नयिोक्ता को संबंधति प्राधिकारी से **पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बनिा अंतरराज्यीय श्रमिकों को नयिोक्त करने से प्रतबिंधति कया गया है।**
- कानून में यह भी प्रावधान है क **प्रत्येक ठेकेदार जो एक राज्य से दूसरे राज्य में तैनाती के लयि श्रमिकों की भरती करता है, उसे ऐसा करने के लयि लाइसेंस प्राप्त करना होगा।**

